

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग

निविदा सूचना

क्रमांक/लो.क.वि./जोन-2/2021 1860

भिलाई, दिनांक 21/01/21

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015/ रोड एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015, विद्युत एस.ओ.आर. 01.08.2015 एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 11.02.2021 को सायं 5.30 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, प्राप्त निविदा दिनांक 12.02.2021 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 04.02.2021 को सायं 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदारों की श्रेणी	फार्म
1	रामनगर मुक्तिधाम में नया बोर कराने बाबत।	0.90	2,000.00	300.00	30 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म 'ए' एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
2	निगम मद अंतर्गत रामनगर मुक्तिधाम में रख-रखाव कार्य। (वार्षिक कार्य)	19.22	15,000.00	750.00	12 माह	'द' एवं प्रवर	फार्म 'बी' एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम

नियम एवं शर्तें:- 1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्प्रीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जायेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर. तथा निविदा प्रपत्र निविदा मूल्य की राशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त के नाम पर डी.डी. तथा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, व्यवसायिक कर प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र, जीवित बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्त्रोंतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5% की कटौती की जावेगी। 7. सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि की एफ.डी.आर. नियमानुसार परफारमेंस गारंटी के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा। 8. शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्यों हेतु श्रमिकों का पी.एफ. कटौती किया जाना है तथा बैंकों में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 09 शपथ पत्र। 10. प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवही की जावेगी। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। 12. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 13. ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि के पूरा करने में असफल हुए हो, को ठेका नहीं दिया जायेगा। 14. सभी दस्तावेज स्वयं प्रमाणित/नोटरी प्रमाणित होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्र.-02 वैशाली नगर तथा नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाइट www.uad.cg.gov.in एवं चिप्स की वेबसाइट www.eproc.cgstate.gov.in और bhilai.urbanecg.gov.in से देखी जा सकती है।


जोत आयुक्त
जोन क्रमांक-02

नगर पालिक निगम, भिलाई

NAGAR PALIK NIGAM, BHILAI
NIT

रामनगर मुक्तिधाम परिसर में रखरखाव कार्य (वार्षिक कार्य)
(ITEM RATE)

Sr. No.	Particulars	Qty.	Unit
1	रामनगर मुक्तिधाम में जलाने हेतु लकड़ी तौलकर स्थल पर ले जाने एवं जमाने का कार्य तथा 24 घंटे मुक्तिधाम परिसर की चौकीदारी एवं भवनो की साफ सफाई का वार्षिक कार्य एवं रामनगर मुक्तिधाम परिसर में स्थित पुराने पेड़, पौधे, लान एवं उद्यान का रखरखाव। (अनुशासक)	14x27x12=4536	Each



ASSTT. ENGINEER

Nagar Palik Nigam, Bhilai



SUB-ENGINEER

Nagar Palik Nigam, Bhilai

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

नियम व शर्तें


कार्य का नाम – रामनगर मुक्तिधाम परिसर में रख-रखाव कार्य।

1. निविदादाता द्वारा नगर पालिक निगम, भिलाई में श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु सहायक श्रमायुक्त द्वारा प्रदत्त जीवित अनुज्ञप्ति एवं EPF तथा ESI Code से संबंधित अभिलेख/प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
2. एन.जी.ओ. होने की स्थिति समिति का पंजीयन प्रमाण – पत्र बायलाज, पदाधिकारियों की सूची अभिप्रमाणित प्रति संस्था का पैन नम्बर (परमानेन्ट एकाउंट नम्बर) की तीन साल की आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
 1. निगम में पंजीकृत ठेकेदार होने की स्थिति में :-
 2. वैध लेबर लायसेंस की छायाप्रति
 3. निगम में ठेकेदार हेतु पंजीकृत वैध प्रमाण पत्र की छाया प्रति
 4. ठेकेदार का पैन नम्बर
 5. दो साल की आडिट रिपोर्ट की छाया प्रति
 6. सामान प्रकृति के कार्य का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र
3. अनुबंधित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले श्रमिक के संबंध में एक शपथ पत्र रु. 50.00 स्टाप पेपर में नोटरी कराकर इस आशय के साथ देना होगा कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालको एवं हेल्परों के विरुद्ध किसी प्रकार की न्यायालीन या पुलिस थाना में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। उपलब्ध कराये गये श्रमिक एवं हेल्पर पाक-साफ है।
4. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले श्रमिक से कोई दुर्घटना होती है या वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी निविदाकार की होगी।
5. कार्य प्रतिदिन 8 घन्टे की कार्य अवधि का है, परंतु आवश्यकता अनुसार श्रमिक को कार्य पर बुलाया जा सकता है। बुलाये गये समय पर श्रमिक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदाकार होगी। कार्य के समय में भी परिवर्तन किया जा सकता है परिवर्तित समय पर भी श्रमिक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। अतिरिक्त समय तक वाहन चलाने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. निविदा के संपूर्ण भाग निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम के आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. अनुबंधकर्ता अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और न ही किसी अन्य को हस्तांतरण कर सकेगा। यदि अनुबंध की बीच की अवधि में कार्य छोड़ गया तो पुनः निविदा बुलाकर हानि की क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता से की जा सकेगी। उनकी सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी।
8. निविदाकार समस्त व्यय एवं शासन द्वारा अधिरोपित समस्त कर सहित निविदा दर प्रस्तुत करेगा।
9. निविदादाता द्वारा (1) वैध अनुज्ञप्ति, (2) आयकर विवरणी विगत दो वर्षों की, (3) पैन कार्ड की छाया प्रति, (4) यदि एन.जी.ओ. स्व. सहायता समूह हो तो संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, अवधि गत तीन वर्षों की आडिट रिपोर्ट, (5) निविदाकार द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे (संस्था को) किसी भी शासकीय संस्था में दिवालिया/काली सूची में नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की छायाप्रति स्वः प्रमाणित **Speed Post** के माध्यम से जोन क्रमांक-02 वैशाली नगर, पानी टंकी यूको बैंक के पास दिनांक 11/02/2021, सायं 5.30 बजे तक प्राप्त की जा सकेगी।

10. शासन के घोषित दर नियमो व न्यूनतम वेतन दरों से कम वेतन का भुगतान नियोजित कर्मचारियों को नहीं किया जावेगा। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी निविदाकर्ता (अनुबंधित एजेंसी) की होगी।
11. सहायक श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दैनिक/मासिक वेतन की न्यूनतम दर से कम की दरे निविदा में प्राप्त होने पर उक्त निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा। ऐसी निविदा प्रस्ताव विचार योग्य नहीं होगी।
12. छ.ग. शासन में सभी प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम श्रम नियमों/संविदा मजदूरी व भविष्य निधि तथा दुर्घटना बीमा आदि का नियमानुसार जमा करने की जवाबदारी संबंधित एजेंसी की होगी। किसी प्रकार की शिकायत आदि का निराकरण करने की जवाबदारी निविदाकर्ता (अनुबंधित एजेंसी) की होगी।
13. सहायक श्रम आयुक्त द्वारा समय-समय पर श्रमिक के पारिश्रमिक में वृद्धि की जाती है तो एजेंसी को बढ़े हुए दर पर श्रमिकों को भुगतान किया जाना होगा तथा बढ़ी हुई दर का भुगतान एजेंसी को निगम द्वारा सक्षम स्वीकृत उपरांत किया जावेगा।
14. प्रत्येक माह निष्ठा/निगम में प्रचलित तात्कालिक पद्धति के माध्यम से ही वाहन चालकों की उपस्थिति दर्ज किया जायेगा। जिसके आधार पर ही वेतन देयक का भुगतान किया जायेगा।
15. प्रत्येक माह की 10 तारीख तक श्रमिक का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा एवं कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी बीमा (EPF एवं ESI) की राशि का चालन माह के 10 तारीख के पूर्व जमा कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रति दिवस विलम्ब हेतु आरोपित दण्डिक शुल्क वसूल किया जावेगा।
16. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कर्मचारी भविष्यनिधि तथा अन्य सभी प्रचलित संबंधित शासकीय नियमो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विभिन्न नियमों का पालन करने तथा निर्धारित राशि जमा करने का उत्तरदायित्व अनुबंधित एजेंसी का होगा।
17. अनुबंधित एजेंसी को निगम के समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा निविदा नियम शर्तों का उल्लंघन करने पर निविदाकार को जमा निविदा धरोहर राशि को राजसात कर अनुबंध निरस्त कर अन्य निविदाकार से कार्य कराया जावेगा।

निविदा की न्यूनतम दर (निविदा स्वीकृत) स्वीकृत होने पर एक सप्ताह के भीतर ठेकेदार को उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबंध नहीं करने पर प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य निविदाकारों या स्वसहायता समूह से कार्य कराया जावेगा जिसके संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा।

नगर पालिक निगम एवं अनुबंधकर्ता के बीच किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निगम आयुक्त का निर्णय अंतिम माना जावेगा।


जोन आयुक्त
(जोन क्र.-02)

नगर पालिक निगम,
भिलाई।